

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में पुलिस थाना बनेठा का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 29 सितम्बर, गुरुवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरेश सिंह चौधरी सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरुद्ध दर्ज प्रकरण में कार्यवाही नहीं करने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी सुरेश सिंह चौधरी सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक द्वारा 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी की टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुरेश सिंह चौधरी पुत्र श्री देवालाल निवासी बगड़ी, तहसील पीपलू, जिला टोंक हाल सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थाना बनेठा, जिला टोंक को परिवादी से 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास, अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।